



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-48/2022 धारा- 354 भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लक्ष्मण अनुरागी पुत्र रामप्रसाद निवासी कुल्हैंड़ा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी
रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ0नि0 गुलाब सिंह



पैरोकार
थाना- मझगवां
का0 अनिल कुमार